अनलाल रामकुमार V/S सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 346/24 251क RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-12-24	आज मय प्रार्थना-पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट सहित प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नंबर से फारिग होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश, आज इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/793

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 346/24 GCMS:-2024/793 **दायर दिनांकः–** 23.12.24

रामकुमार पुत्र श्री नानूराम जाति नायक निवासी 10 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

–––प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

–––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :–

1– प्राथी रामकुमार ।

2– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 23.12.24

23.12.24

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके रोही राजपुरा पीपेरन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 5 के खसरा न0 553/552 में 3.832 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि को मुताबिक रिकार्ड स्वीकृत रास्ता नही लगता है । इस भूमि के उतर की ओर खसरा न0 554/552 व 552/247 की भूमि है । प्रार्थी की भूमि एवं उतर की तरफ की भूमि के पश्चिम में खसरा न0 556/552 में 0.728 है0 एवं खसरा न0 554/552 में 0.728 है0 भूमि रकबा राज है जो पूर्व में प्रार्थी एवं उत्तर की तरफ के खातेदार रोशनलाल द्वारा रास्ता प्रयोजन हेतू राजस्थान सरकार को समर्पित किया हुआ है । इस रकबा राज एवं प्रार्थी व रोशन लाल की भूमि के उतरी दिशा में रोही टिलावाली तहसील सूरतगढ की भूमि है जिसका मुताबिक नक्शा स्वीकृत शुदा रास्ता उपरोक्त राज्य सरकार को समर्पित भूमि के साथ लगता है एव आवागमन हेतु उपरोक्त राजकीय भूमि के साथ मिलता है । प्रार्थी की भूमि को आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है । वर्तमान में प्रार्थी उपरोक्त राजकीय भूमि से आना जाना करता है । चूंकि मुताबिक रिकार्ड भूमि राजकीय है इसलिए कभी भी राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि पर आवागमन बंद किया जा सकता है । इसलिए प्रार्थी उपरोक्त राजकीय भूमि के पूर्व भाग में खसरा न0 554/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 783.5फुट लम्बाई पश्चिमी भाग उत्तर से दक्षिण अर्थात 0.218 है0 व 30फुट चौड़ाई 70फुट लम्बाई दक्षिणी भाग पूर्व से पश्चिम अर्थात 0.019 है0 एवं खसरा न0 556/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 100 फुट लम्बाई पश्चिम भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.027 है0 जो वर्तमान में चालू रास्ता को प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पूर्व में राज सरकार को समर्पित करने के कारण निःशुल्क रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन करता है ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 द्वारा एल आर ए एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहरा[illegible]दन किया कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके रोही राजपुरा पीपेरन तहसील सू[illegible] 552 में 3.832 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिका[illegible] बाके है [illegible]र्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि को मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

23.12.24 रिकार्ड स्वीकृत रास्ता नही लगता है । इस भूमि के उतर की और खसरा न0 554/552 व 552/247 की भूमि है । प्रार्थी की भूमि एवं उतर की तरफ की भूमि के पश्चिम में खसरा न0 556/552 में 0.728 है0 एवं खसरा न0 554/552 में 0.728 है0 भूमि रकबा राज है जो पूर्व में प्रार्थी एवं उतर की तरफ के खातेदार रोशनलाल द्वारा रास्ता प्रयोजन हेतू राजस्थान सरकार को समर्पित किया हुआ है । इस रकबा राज एवं प्रार्थी व रोशन लाल की भूमि के उतरी दिशा में रोही टिलावाली तहसील सूरतगढ की भूमि है जिसका मुताबिक नक्शा स्वीकृत शुदा रास्ता उपरोक्त राज्य सरकार को समर्पित भूमि के साथ लगता है एव आवागमन हेतु उपरोक्त राजकीय भूमि के साथ मिलता है । प्रार्थी की भूमि को आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है । वर्तमान में प्रार्थी उपरोक्त राजकीय भूमि से आना जाना करता है । चूंकि मुताबिक रिकार्ड भूमि राजकीय है इसलिए कभी भी राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि पर आवागमन बंद किया जा सकता है । इसलिए प्रार्थी उपरोक्त राजकीय भूमि के पूर्व भाग में खसरा न0 554/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 783.5फुट लम्बाई पश्चिमी भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.218 है0 व 30फुट चौड़ाई 70फुट लम्बाई दक्षिणी भाग पूर्व से पश्चिम अर्थात 0.019 है0 एवं खसरा न0 556/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 100 फुट लम्बाई पश्चिम भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.027 है0 जो वर्तमान में चालू रास्ता को प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पूर्व में राज्य सरकार को समर्पित करने के कारण निःशुल्क रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन करता है ।

प्रार्थी की बहस ध्यान पूर्व सुनने एवं प्रार्थना–पत्र पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थी मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई भी रास्ता नही है । प्रार्थी रकबा राज भूमि वाके रोही राजपुरा पीपेरन के खसरा न0 554/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 783.5फुट लम्बाई पश्चिमी भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.218 है0 व 30फुट चौड़ाई 70फुट लम्बाई दक्षिणी भाग पूर्व से पश्चिम अर्थात 0.019 है0 एवं खसरा न0 556/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 100 फुट लम्बाई पश्चिम भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.027 है0 जो वर्तमान में चालू रास्ता से आवागमन किया जा रहा है । उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा पूर्व में रास्ता प्रयोजन हेतू राज्य सरकार को समर्पित की गई है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रकबा राज भूमि वाके रोही राजपुरा पीपेरन के खसरा न0 554/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 783.5फुट लम्बाई पश्चिमी भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.218 है0 व 30फुट चौड़ाई 70फुट लम्बाई दक्षिणी भाग पूर्व से पश्चिम अर्थात 0.019 है0 एवं खसरा न0 556/552 में 30 फुट चौड़ाई एवं 100 फुट लम्बाई पश्चिम भाग उतर से दक्षिण अर्थात 0.027 है0 रकबा राज के कलमजन गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है । प्रार्थी उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में प्रचलित डी एल सी राशि की दो गुणा राशि राजकोष में जमा करवाएगा । उक्त राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)